उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग

संख्या-51/2016/669/58-2-2016-600(8)/2016

लखनऊ :दिनांक:: 06 जुलाई, 2016

शुद्धि-पत्र

मै0 मुरारी इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0, गायत्रीनगर छावनी पड़रौना, कुशीनगर को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु स्वीकृत अनुदान की द्वितीय किस्त रू0-4700679 (रूपया सैतालिस लाख छः सौ उन्यासी मात्र) अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-49/2016/534/58-2-2016-600(8)/2016, दिनांक-15.06.2016 के पैरा-4 की दूसरी पंक्ति में अंकित वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2014-15 पढ़ा जाए।

2. उक्त शासनादेश दिनांक-15.06.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-51/2016/669(1)/58-2-2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(3) आयुक्त/जिलाधिकारी, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(4) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in